न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	07.07.2017	21.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री हरीश चन्द चेलानी पुत्र श्री होतचन्द चेलानी जाति सिन्धी निवासी आदर्श नगर कोटा रोड टोंक जिला टोंक मैसर्स हरीश किराणा स्टोर मोती बाग रोड टोंक
2–मैसर्स हरीश किराणा स्टोर मोती बाग रोड टोंक
3–श्री अनिल कुमार भट्टड नॉमिनी मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड्स एण्ड स्पाईसेस प्रा. लि. एच–2092, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर राज0
4–मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड्स एण्ड स्पाईसेस प्रा. लि. एच–2092, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एण्ड दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 21.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2017 को समय 02:02 पीएम पर मैसर्स हरीश किराणा स्टोर मोती बाग रोड टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री हरीश चन्द चेलानी पुत्र श्री होतचन्द चेलानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हरीश चन्द चेलानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 40 मूल पैक **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री हरीश चन्द चेलानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री हरीश चन्द चेलानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)** बैच नम्बर बीआर / डीएच 14 / 30 एवं पैकिंग की दिनांक 24.02.2017 थी, को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वास्त मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के चार मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक प्रत्येक 500 ग्राम पैक को एक–एक नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1585 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री हरीश चन्द चेलानी तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1585 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री हरीश चन्द चेलानी पुत्र श्री होतचन्द चेलानी मैसर्स हरीश किराणा स्टोर मोती बाग रोड टोंक ने बतौर वारन्टी व निर्माता मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड्स एण्ड स्पाईसेस प्रा. लि. एच–2092, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड्स एण्ड स्पाईसेस प्रा. लि. एच–2092, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, वैट रजि. फार्म नं. 3 एवं फार्म बी एवं नॉमिनी रजि. फार्म प्रस्तुत कर नॉमिनी श्री अनिल कुमार भट्टड का होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1979 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./217/एक्ट/2017/217 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis- Branded)** स्तर का होना पाया जाने के कारण विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री संतोष गौत्तम एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 19.02.2018 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कोई बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। हमने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एंव जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर (बीआरजी ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/–(अक्षरे साठ हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,40,000/–(अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 21.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0